



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि.मं. की एक उत्तरावर्ती कंपनी)

CIN U40108CT2003SGC015822

कार्या. कार्यपालक निदेशक (सं.सं.) छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर,

Email ID cconm.raipur@cspc.co.in Phone No. 0771-2574901

क्र.02-01/स्था./ 1684
प्रति,

रायपुर, दिनांक 07 SEP 2026

श्री कन्हैया बेहरा, प्रशासनिक अधिकारी,
पता-9/789 वार्ड नं० 9 गांधी नगर, गुढ़ियारी, रायपुर।
मोबाईल नंबर- 7697577895
ईमेल आईडी- behrakanhaiya@gmail.com
कार्या० कार्यपालक निदेशक (संचा/संधा)
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., रायपुर

विषय:- कार्य में उपस्थित होने बाबत।

- संदर्भ :-
1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 02-01/स्था./320 दिनांक 20.02.2026
 2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 02-01/स्था./5144 दिनांक 18.03.2026
 3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 02-01/स्था./02 दिनांक 13.04.2026
 4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 02-01/स्था./10 दिनांक 14.05.2026
 5. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 02-01/स्था./36 दिनांक 15.06.2026
 6. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 02-01/स्था./49 दिनांक 08.07.2026

आप दिनांक 11.02.2026 से इस कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं। आपको इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों के माध्यम से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में युक्तियुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए अविलंब कर्तव्य में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है किन्तु आप आज दिनांक तक अपने कर्तव्य में उपस्थित नहीं हुए हैं।

कर्तव्य में उपस्थित होने हेतु आपको कार्यालय से अनेक पत्र आपके निवास के पते में प्रेषित किया गया है, जो “refused” या “To left” की टीप सहित वापस प्राप्त हुआ है। उक्त के अतिरिक्त आपको आपके मोबाईल नंबर 7697577895 पर व्हाट्सअप एवं जीमेल के माध्यम से तत्संबंध में सूचना प्रेषित की गई है, किन्तु आपके द्वारा न ही कोई प्रत्युत्तर दिया गया और न ही अपने अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना दी गई। इस प्रकार अनेक सूचना दिये जाने के बावजूद आपके द्वारा तत्संबंध में कोई सूचना नहीं दिया जाना सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में युक्तियुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित हों, अन्यथा आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं, यह मानते हुए सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सेवा समाप्ति विषयक नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(एस०आर०बी० खडेलवाल)
कार्यपालक निदेशक (संचा/संधा)
छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लि.रायपुर

September 1, 2026

Correspondence\9



Scanned with OKEN Scanner